भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 106
04.12.2023 को उत्तर के लिए

सीईपीएमआईजेड का कार्यान्वयन

106. श्री डी. के. सुरेश:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में खनन प्रभावित क्षेत्र (सीईपीएमआईजेड) के लिए व्यापक पर्यावरण योजना को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान सीईपीएमआईजेड के अंतर्गत एकत्र की गई कुल निधियों का राज्य-वार/वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने सीईपीएमआईजेड के अंतर्गत एकत्र की गई निधियों का उपयोग करने के लिए आवश्यक उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्वनी कुमार चौबे)

(क) से (ग) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय खनन प्रभावित क्षेत्र के लिए व्यापक पर्यावरण योजना (सीईपीएमआईजेड) को कार्यान्वित नहीं कर रहा है। यद्यपि, कर्नाटक खनन पर्यावरण बहाली निगम (केएमईआरसी) की रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक राज्य के तीन जिलों नामत: बेलारी, चित्रदुर्ग तथा तुमकुर में सुधारात्मक और उपशमन परियोजनाओं/योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कर्नाटक राज्य द्वारा अक्टूबर 2018 के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय को खनन प्रभावित क्षेत्र के लिए व्यापक पर्यावरण योजना (सीईपीएमआईजेड) को प्रस्तुत किया गया था। केएमईआरसी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, सीईपीएमआईजेड को 10 वर्षों की अवधि में कार्यान्वित किया जाना है और सीईपीएमआईजेड में शामिल कार्यक्रमों का विवरण, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अपने आदेश दिनांक 21.04.2022 में अनुमोदित है, **अनुबंध-I** में संलग्न है

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित निगरानी समिति को सीईपीएमआईजेड के कार्यान्वयन के लिए निधियां एकत्रित करने हेतु अधिदेशित किया गया था। वर्ष 2011 से, निगरानी समिति ने अगले दस वर्षों में सीईपीएमआईजेड के कार्यान्वयन के लिए दिनांक 30.11.2023 तक 24,036.94 करोड रूपए की राशि एकत्रित और हस्तांतरित की है।

इसके अतिरिक्त, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार, निरीक्षण प्राधिकारी ने दिनांक 30.05.2022 को कार्यभार संभाला है और तब से उन्होंने सीईपीएमआईजेड के कार्यान्वयन के लिए 11 बैठके बुलाई हैं तथा 7634.97 करोड़ के परिव्यय सहित 317 परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी है। सीईपीएमआईजेड के विभिन्न क्षेत्रों/उप-क्षेत्रों के तहत अनुमोदित परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध-II** में संलग्न है।

****

अनुबंध- I

सीईपीएमआईजेड के कार्यान्वयन के संबंध में दिनांक 04.12.2023 को उत्तर के लिए पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 106 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध- I
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित सीईपीएमआईजेड में शामिल परियोजनाओं का विवरण:

केएमईआरसी- सीईपीएमआईजेड					
क्र.सं.	क्षेत्र/जिले	बेल्लारी	चित्रदुर्ग	तुमकुर	कुल करोड़ रुपये।
1	**पर्यावरण की बहाली**				
क	वानिकी	1557.79	540.83	500.52	2599.14
ख	प्रदूषण नियंत्रण	27.00	14.81	14.81	56.61
	उप-योग	**1584.79**	**555.64**	**515.33**	**2655.75**
2	**कृषि एवं संबद्ध**				
क	कृषि	442.45	324.85	287.10	1054.40
ख	बागवानी	64.73	17.06	14.03	95.82
ग	रेशम उत्पादन	0.00	3.50	3.00	6.50
घ	पशुपालन	284.76	38.00	22.20	344.96
ण	मछली पालन	89.99	7.63	3.75	101.37
	उप-योग	**881.93**	**391.04**	**330.08**	**1603.05**
3	**पेयजल, स्वच्छता, ग्रामीण सड़कें**				
क	पेयजल	2569.98	661.00	236.88	3467.86
ख	स्वच्छता	374.00	37.00	13.00	424.00
ग	ग्रामीण सड़कें	520.72	280.68	236.64	1038.04
	उप-योग	**3464.70**	**978.68**	**486.52**	**4929.90**
4	**स्वास्थ्य**				
क	जिला अस्पताल	286.17	114.04	131.90	532.11
ख	तालुका/सीएचसी/पीएचसी/आयुष/ब्लड बैंक आदि,	151.17	141.90	77.77	370.84
ग	विशेष चिकित्सा केंद्र संदूर	301.63			301.63
घ	मेडिकल कॉलेज बेल्लारी	711.20	0	0	711.20
	उप-योग	**1450.17**	**255.94**	**209.67**	**1915.78**
5	**शिक्षा**				
क	प्रधान एवं माध्यमिक शिक्षा	413.49	280.58	186.62	880.69
ख	पीयू शिक्षा	230.00	50.00	5.66	285.66
	उप-योग	**643.49**	**330.58**	**192.28**	**1166.35**
6	**कमजोर वर्गों का विकास**				
क	महिलाएं एवं बच्चे	398.87	94.03	110.78	603.68
ख	समाज कल्याण	200.00	50.00	51.94	301.94

ग	पिछड़े वर्ग	78.03	25.31	25.00	128.34
घ	अल्पसंख्यक विकास	18.70	19.20	10.70	48.60
	उप-योग	**695.60**	**188.54**	**198.42**	**1082.56**
7	**आवास**	1027.00	106.88	60.00	**1193.88**
8	**कौशल विकास**	436.19	70.79	31.27	**538.25**
9	**पर्यटन**	148.00	34.00	7.00	**189.00**
10	**सिंचाई**	799.00	154.70	53.00	**1006.70**
11	**भौतिक अवसंरचना**	734.99	105.29	44.08	**884.36**
12	**सड़क एवं संचार**	1512.55	620.22	426.40	**2559.17**
13	**रेलवे का बुनियादी ढांचा**				**5271.96**
	कुल योग	**13378.41**	**3792.30**	**2554.05**	**24996.71**

अनुबंध- **II**

सीईपीएमआईजेड के कार्यान्वयन के संबंध में दिनांक **04.12.2023** को उत्तर के लिए पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या **106** के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध- **II** - सीईपीएमआईजेड के विभिन्न क्षेत्रों/उप क्षेत्रों के तहत अनुमोदित परियोजनाओं का विवरण:

सीईपीएमआईजेड के तहत 18 अक्टूबर, 2023 तक माननीय निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं का ब्यौरा				
क्र.सं.	क्षेत्र	उप-क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	कुल राशि (करोड़ रुपये में)
1	पर्यावरण बहाली	वानिकी	1	11.40
			64	1193.25
		प्रदूषण नियंत्रण	1	9.15
2.	कृषि एवं संबद्ध गतिविधि	जलविभाजन	37	701.65
		बागवानी	4	28.70
		पशुपालन	15	235.17
		मछली पालन	10	80.99
3	पेयजल, स्वच्छता एवं ग्रामीण सड़कें	पेयजल	1	270.64
		स्वच्छता	10	118.58
		ग्रामीण सड़कें	16	400.78
4	स्वास्थ्य	स्वास्थ्य	13	292.47
		चिकित्सा शिक्षा (वीआईएमएस)	1	121.83
5	शिक्षा	प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, सार्वजनिक पुस्तकालय, पीयू शिक्षा, तकनीक शिक्षा ,उच्च शिक्षा,	42	818.04
6	कमजोर वर्गों का विकास	महिला एवं बाल विकास- जिसमें कौशल प्रशिक्षण भी शामिल है।	11	310.59
		पिछड़ा वर्ग एवं जनजातीय कल्याण	2	36.55
		अल्पसंख्यक विकास	5	15.26
7	आवास	आवास	4	260.95
8	कौशल विकास	कौशल विकास	8	149.32
9	सिंचाई	लघु सिंचाई	14	508.61
		प्रमुख सिंचाई	2	68.99
10	भौतिक अवसंरचना	भौतिक अवसंरचना	1	8.22
11	सड़कें और संचार	सड़कें एवं संचार	53	1458.12
12	रेलवे का बुनियादा ढांचा	रेलवे का बुनियादा ढांचा	2	535.71
कुल			**317**	**7634.97**